सूचना प्राप्त करने का आवेदन–पत्र

मूल वाद T20221470300121322

अपील संख्या........ सन् 2023 सम्बन्ध में जो पुर्ननिरीक्षण........

उपजिलाधिकारी न्यायालय सदर

........न्यायालय में विचाराधीन है।

शंकर राम .... बनाम् सरकार

प्रार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना चाहता है:–

प्रश्न	उत्तर
शंकर राम बनाम सरकार में श्रीमान जी धारा 80 का [illegible] उत्तर देने की कृपा करें	श्रीमान जी, जी हाँ [illegible] 25/07/2023 Recd

दिनांक– 25/07/2023

8830/10

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर

[illegible]

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार/तहसीलदार की आख्या का प्रारूप (तहसील सदर वाराणसी)

महोदय,

श्री चन्द्रशेखर व [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्रा॰ [illegible] परगना देहात अमानत व तहसील सदर जिला वाराणसी के अन्तर्गत प्रस्तुत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के प्रार्थना पत्र के कम मे क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के साथ स्थलीय व अभिलेखिय जॉच की गयी, जिसके आधार पर स्थलीय जॉच आख्या निम्नवतः है।

1. ग्राम अराजी की खतौनी वर्ष 1428 ~~[illegible]~~ से 1433 फ0 के खाता संख्या 531 व 440 गाटा संख्या 272 व 275 पर आवेदक का नाम अभिलेखों मे बतौर संकमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के 0.0883 पर पक्का निर्माण निर्माण किया गया है तथा कृषि कार्य नही किया जाता है। भूमि पूर्णतयाः अकृषिक है।
2. गाटा संख्या 272 व 275 रकबा 0.0177 व 0.0714 पर आवेदक/आवेदिका का दुकान (संख्या लिखे)/(किस रूप मे निर्माण है व कितने रकबे पर है स्पष्ट लिख जाय।) बनाकर निर्माण किया गया है।
3. उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नही किया जा रहा है। ✗
4. उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से व्यवसायिक/आवासीय प्रयोग मे लाया जा रहा है। व्यवसायिक
5. उक्त भूमि आवेदक को आवंटन से नही प्राप्त हुई है।
6. उक्त भूमि गाटा संख्या 272 व 275 रकबा 0.0177 व 0.071 आवेदक/~~आवेदक की पैतृक भूमि है~~ अथवा बैनामा से प्राप्त हुयी है। (स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं बैनामे की प्रति के साथ–साथ 41 व 45 संलग्न किया जाय)। बैनामे से
7. उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नही है तथा ग्राम सभा व धारा 77 से बाधित नही है व सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना व महायोजना के अन्तर्गत नही है। नही है।
8. उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिग्रहीत भूमि नही है या कोई मुआवजा नही लिया गया है। हॉ
9. उक्त भूमि विकास प्राधिकरण मे अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत नही है। नही

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 मे धारा 80 मे वर्णित प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धिरित सर्किल रेट के अनुसार विवादित भूमि आराजी 272 व 275 का मुल्यांकन 60000 प्रति 0.001 की दर से 53,34000 रू/– होता है, जिसका एक प्रतिशत 53,340/- रू/–उदघोषणा शुल्क होता है। महानिरीक्षक निबन्धक महोदय के आदेश के कम मे उदघोषणा शुल्क के अतिरिक्त .... रू/– कोर्ट फीस स्टाम्प भी देय है।

अतः चन्द्रशेखर व [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्रा॰ [illegible] परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के द्वारा ग्राम अराजी परगना [illegible] तहसील सदर जिला वाराणसी की खाता संख्या 531 व 440 की गाटा संख्या परगना.......... भूमि मे .... अकृषिक प्रयोग किया जा रहा है, जिस आधार पर अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या सादर संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नकः–1 आख्या व नजरी नक्शा एवं स्थल की फोटो।

[signature] 30/06/23

नायब तहसीलदार..........

तहसील सदर जनपद

वाराणसी।

अग्रसारित

[signature] 24/7/23